न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00029

1. मूली लाल आयु 57 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
2. रामचरण आयु 52 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
3. मथुरा लाल आयु 49 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
4. प्रेमबाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री नाथू जाति धाकड ।
5. घीसी बाई आयु 72 वर्ष बेवा श्री नाथू जाति धाकड निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल आयु 67 वर्ष आत्मज श्री किशन जाति धाकड निवीस ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सत्यनारायण नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188, 53 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा में कुल 10 किता की रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि नाथू वल्द लाला, कन्हैयालाल वल्द श्री किशन जाति धाकड के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के मध्य आपसी पारिवारिक सहमति से लगभग 35 वर्ष पूर्व विभाजन हो गया था । पक्षकारान आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं । पक्षकारान अपने–अपने कब्जे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम

खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हो गये हैं । वादीगण के पिता नाथू जी को बंटवारे में जो भूमि प्राप्त हुई थी वह पूर्णतया काबिल काश्त नहीं थी । वादीगण द्वारा उक्त भूमि में काफी पैसा लगाया और उसे कृषि योग्य बनाया । वादीगण के 35 वर्ष पूर्व बंटवारे में प्राप्त भूमि कृषि योग्य होने के बाद से ही प्रतिवादी क्रम 01 के मान में बदयान्ति आ गई है और वह येन–केन प्रकारेण वादीगण की कृषि भूमि को हडपने की नियत रखता है । दिसम्बर 2010 में प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा वादीगण को धोखा देकर गुपचुप तरीके से बंटवारा करवा लिया तथा भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक रूप से खाते दर्ज कर दी गई जो सर्वथा अनुचित एवं गलत है । राजस्व रिकॉर्ड में करवाये गये परिवर्तन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की वर्षों से कब्जे एवं काश्त की भूमि को छीनने एवं जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके पूर्व में हुए पारिवारिक सहमति से विभाजन के अनुसार चले आ रहे मौके एवं कब्जे के अनुसार विभाजन किया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । पक्षकारान उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं इसलिए कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी क्रम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने दिनांक 23.10.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज कर करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है । वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955 में कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी खातेदारी अधिकारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए वादीगण को वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई हुई प्रलेखिय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने में त्रुटि की है । विधि के अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में केवल मात्र न्यायालय को यह देखना होता है कि वादकारण उत्पन्न हुआ या नही तथा वाद क्षेत्राधिकार

का है या नहीं एवं वाद उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है या नहीं । इन सभी बातों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलान्ट वादीगण के वादपत्र को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । प्रतिवादी कम 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात भी कायम कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के द्वारा परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 01 ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे यह कथन किया गया है कि अपीलान्टगण ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर दावा पेश किया है और कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते इसलिए दावा वादी खारिज किया जावे । अपीलान्टगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज किया है जबकि विधि से वर्जित नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दलीलों को नजरअन्दाज किया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में सिर्फ यह देखना होता है कि वादकारण उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं । दावे का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं और दावा उचित कोर्ट फीस पर पेश किया गया है अथवा नहीं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसका विभाजन करवाने के वादीगण अधिकारी हैं और पारिवारिक बंटवारे के अनुसार मौके पर वादीगण काबिज हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विभाजन हो चुका है और विभाजन के अनुरूप पक्षकारों के खाते अलग–अलग हो गये हैं । अब आराजी के विभाजन के लिए पुनः दावा पेश किया गया है जो विधि से वर्जित है । वादी ने स्वयं अपने दावे में यह अंकित किया है कि दिनांक 25.07.2012 को केसीसी बनवाने के लिए गये तब यह जानकारी हुई कि आराजी का विभाजन हो चुका है और यह आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज हो चुकी है । सन् 2010 में प्रतिवादी के द्वारा वादी को धोखा देकर खाते अलग करवाये गये हैं । इस प्रकार दावे में जो अंकित है उससे यह प्रमाणित है कि खाते अलग–अलग हो चुके हैं । जिस आराजी का विभाजन हो चुका है उसके पुनः विभाजन कराने के लिए दावा पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि आराजी संयुक्त खाते में नहीं है और न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि के लिए दावा पेश किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 (4) सीपीसी में दावा जो विधि से वर्जित है उसे खारिज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1976 पेज 436, आरआरडी 1978 पेज 482, आरआरडी 1980 पेज 464 उद्वरत की।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है । दावे के साथ नकल जमाबन्दी पेश की गई है उसका अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार नाथू वल्द लाला कन्हैया वल्द श्रीकिशन के सुयक्त खाते में कुल 10 किता की 43 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 281 के अनुसार वादीगण के खाते में 05 किता की 21 बीघा 16 बिस्वा आराजी दर्ज है और प्रतिवादी कन्हैया लाल के खाते में नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार कुल 05 किता की 21 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है । प्रकरण में प्रतिवादी कन्हैया लाल ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका जवाब वादीगण ने दिया है और इसको स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 281 और खाता संख्या नया 18 संलग्न है उसके अनुसार आराजी का विभाजन हो चुका है और वादीगण के तन्हा खाते में कुल 05 किता की 21 बीघा 16 बिस्वा आराजी दर्ज की गई है और प्रतिवादीगण के खाते में कुल 07 किता की 21 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज की गई है । वादी ने स्वयं अपने दावे की मद संख्या 08 में यह कथन किया है कि सन् 2010 में उनका बंटवारा हो चुका है और प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण को धोखा देकर गुपचुप तरीके से बंटवारा करवाया है। इस प्रकार वादी के दावे के अनुसार और वाद के साथ संलग्न रिकॉर्ड के अनुसार आराजी का विभाजन सन् 2010 में हो चुका है और खाते पृथक–पृथक हो चुके हैं । अब पुनः उसके विभाजन के लिए नया दावा मेन्टेनेबल नहीं है और न ही कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार का दावा मेन्टेनेबल है । वादीगण को यदि पूर्व में हुए विभाजन से आपत्ति है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु विभाजन के लिए नया दावा मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दाव वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00029

1. मूली लाल आयु 57 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
2. रामचरण आयु 52 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
3. मथुरा लाल आयु 49 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
4. प्रेमबाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री नाथू जाति धाकड ।
5. घीसी बाई आयु 72 वर्ष बेवा श्री नाथू जाति धाकड निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कन्हैया लाल आयु 67 वर्ष आत्मज श्री किशन जाति धाकड निवीस ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय डिक्री दिनांक 29.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 194/दावा/2012

1. मूली लाल आयु 57 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
2. रामचरण आयु 52 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
3. मथुरा लाल आयु 49 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति धाकड ।
4. प्रेमबाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री नाथू जाति धाकड ।

5. घीसी बाई आयु 72 वर्ष बेवा श्री नाथू जाति धाकड निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. कन्हैया लाल आयु 67 वर्ष आत्मज श्री किशन जाति धाकड निवीस ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा